DIRECTORATE OF ... EDUCATION
DATE
BHOPAL
18 JUN 2007

संचालनालय पेंशन, मध्यप्रदेश
26–किसान भवन, मण्डी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल
–0–

क्रमांक/संपें/पेंशन/क.क./चार/ 1135 /2007 भोपाल,दिनांक– 1/6/2007

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

009337

विषयः–राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।

संदर्भः–वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक– 25 सितम्बर 2006

—00—

संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 2006 के निर्देश क्रमांक 7 के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा एकजाई कर परिशिष्ट–2 (अ) पर संभागवार संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 09/03/2003/नियम/चार, दिनांक 5 मई 2007 द्वारा संशोधन किया जाकर निर्देशित किया गया है कि शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी संशोधित परिशिष्ट–2(अ) में कर्मचारी के नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध करायी जावे ।

वित्त विभाग का संशोधित ज्ञापन दिनांक 5 मई 2007 (संशोधित प्रारूप सहित) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(आर0के0मिश्रा)
संचालक,पेंशन

31-5

73

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : 09 / 03 /2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5 मई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 25 सितम्बर 2006.

---000---

संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के निर्देश क्रमांक 7 के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कि अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा एकजाई कर परिशिष्ट-2 (अ) पर संभागवार संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था में संशोधन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी संशोधित परिशिष्ट 2 (अ) (प्रारूप संलग्न) में कर्मचारी के नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जायगी । जिन मामलों में नियुक्तिकर्ता राज्य शासन है, उन मामलों में उक्त निर्धारित परिशिष्ट 2 (अ) पर जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजी जायगी ।

2/ उक्त व्यवस्था लागू करने के लिए संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 2006 की कंडिका 1-6 के अनुसार परिशिष्ट -1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संधारित किया जाकर नियुक्तिकर्ता अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो को भेजा जावेगा ।

3/ संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 2006 के संलग्न परिशिष्ट-6 का संशोधित प्रारूप संलग्न है ।

संलग्न- 2

ह०/-

(ए.पी. श्रीवास्तव)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Paripatra/53

परिशिष्ट–2(अ)
(निर्देश कमांक–7)

नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष द्वारा संभागवार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों का विवरण पत्रक नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजा जावेगा
(दो प्रतियों में)

प्रशासकीय विभाग का नाम: ....

नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम: ....

संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन संभाग का नाम: ....

स.क.	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम एवं पता	मूल वेतन	जन्मतिथि	नियुक्ति का दिनाक	पेंशन खाते में जमा राशि हेतु नाम–निर्देशिती / नाम–निर्देशितियों का विवरण				रिमार्क	कर्मचारी को आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक
							नाम	शासकीय सेवक से संबंध	प्रत्येक का हिस्सा (प्रतिशत)	नामांकन निरस्त होने की स्थिति		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

परिशिष्ट–6
(निर्देश कमांक–28)

कार्यालय का नाम– नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का इंडेक्स रजिस्टर
(नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा संधारित किया जायगा)

स्थायी पेंशन खाता कमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति के कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति दिनांक	नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.